

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

प्रा0प0- 6001-195 राजस्व ग्राम - 34, ने - 14/10/2020 - जौरत जनपद - मधेरी

ग्राम पंचायत ने दिनांक 05/11/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण	वृ०	पदनाम	मोबाईल न0
1	शेना देवी	अनु० जाति	25	अध्यक्ष	7398938794
2	राधेश पाण्डे	आमतौर	45	सचिव	9555321424
3	श्री मनीषा	अनु० जाति	32	कोषाध्यक्ष	7318455338
4	उपादेवी	अनु० जाति	27	सामान्य सदस्य	9695976963
5	संजय सरोज	अनु० जाति	28	सामान्य सदस्य	8127080953
6	रंगोली	अनु० जाति	35	सामान्य सदस्य	8400626659
7	पुनमुन देवी	अनु० जाति	40	सामान्य सदस्य	8369135268
8	सुरेश्वर	अनु० जाति	42	सामान्य सदस्य	8957607929
9	वन्दना देवी	अनु० जाति	32	सामान्य सदस्य	8858043944
10	शिमांशु	अनु जाति	36	सामान्य सदस्य	7755806562
11	कुन्ने	अनु० जाति	49	सामान्य सदस्य	8739047398
12	भोलानाथ	अनु० जाति	41	सामान्य सदस्य	8935046790
13	प्रदीप कुमार	अनु० जाति	40	सामान्य सदस्य	8016415595
14	हीरामनी	अनु० जाति	35	सामान्य सदस्य	8957365416
15	गुलशन कुमार	अनु० जाति	89	सामान्य सदस्य	9335125018

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिनन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ सेवाओं हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।